पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)44 / 2023–1230 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 21 /03 / 2023.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम अन्तर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, गुरूआ, गया के भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु रुपये 46,82,500 /– (छियालीस लाख बेरासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बांके बाजार, गया के भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु रुपये 26,79,100 /– (छब्बीस लाख उनासी हजार एक सौ रुपये) मात्र अर्थात कुल रुपये 73,61,600 /–(तिहत्तर लाख इकसठ हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने विभागीय राज्यादेश संख्या–5889, दिनांक–17.12.2008 द्वारा भवन निर्माण विभाग को कुल रुपये 71,30,40,000 /– (एकहत्तर करोड़ तीस लाख चालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर पशुपालकों के दरवाजे तक पशु चिकित्सा योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति राजस्व व्यय के तहत की गयी थी। वर्त्तमान में भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत संसूचित माँग संख्या–03 के तहत बजट उपबंध प्रावधानित होने के कारण पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किया जाना है। साथ ही भवन निर्माण के लिए प्रति इकाई प्राक्कलित राशि 29.31 लाख रुपये निर्धारित किया गया था। वर्त्तमान में दोनों पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण अर्द्धनिर्मित अवस्था में है। भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–1782(भ), दिनांक–10.03.2022 द्वारा विषयांकित दोनों पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतएव सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम अन्तर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, गुरूआ, गया के भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु रुपये 46,82,500 /– (छियालीस लाख बेरासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बांके बाजार, गया के भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु रुपये 26,79,100 /– (छब्बीस लाख उनासी हजार एक सौ रुपये) मात्र अर्थात कुल रुपये 73,61,600 /–(तिहत्तर लाख इकसठ हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत व्यय विवरणी–'क' संलग्न है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुओं के लिए पशु स्वास्थ्य सुविधाएँ यथा–पशु चिकित्सा, बधियाकरण

एवं टीकाकरण आदि सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इन पशुचिकित्सालयों के भवन निर्माण पूर्ण होने से राज्य के पशुपालकों के पशुओं को बेहतर एवं सुलभ पशु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन बजट मुख्य शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, माँग संख्या–03, उप शीर्ष–0105–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भवनों का निर्माण, विपत्र कोड 03–4059010510105 के तहत 0105.5301–मुख्य निर्माण कार्यमें उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना पशुपालन प्रक्षेत्र के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्य/सिविल संरचना के कार्यों का प्रबोधन(Monitoring)प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की उपस्थिति में प्रत्येक माह करेंगे। इस कार्य के लिए निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना संयोजक का कार्य करेंगे।

6. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3758, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)44/2023 के पृष्ठ–12/टि० एवं दिनांक–20.03.2023.

7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)44/2023 के पृष्ठ–13/टि० तथा डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–21.03.2023.

8. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

21.3.23

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)44/2023–1230/पटना–15, दिनांक– 21/03/2023.

प्रतिलिपि :–अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना विकास विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)44/2023– 1230 /पटना–15, दिनांक– 21/03/2023.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)44/2023– 1230 /पटना–15, दिनांक– 21/03/2023.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)44/2023– 1230 /पटना–15, दिनांक– 21/03/2023.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)44/2023– 1230 /पटना–15, दिनांक– 21/03/2023.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/पशुपालन निदेशालय के योजना शाखा एवं बजट शाखा/विभागीय आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.23

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम के योजना पर होने वाले कुल रुपये 73,61,600=00 रुपये (तिहत्तर लाख इकसठ हजार छः सौ) मात्र की है। योजना की विस्तृत अनुमानित लागत पर प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, गुरूआ (गया) एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, बांके बाजार (गया) के अधुरे कार्य को पूर्ण करने वाले व्यय की विवरणी :–

विपत्र कोड– 03–4059010510105

(राशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम
1	0105.5301– मुख्य निर्माण कार्य	73.616	सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।	प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी।
योग :–		**73.616**		

(कुल तिहत्तर लाख इकसठ हजार छः सौ) मात्र।

21.3.23

सरकार के विशेष सचिव

1230
21/03/23